

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 331]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2020—श्रावण 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(1) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28 जुलाई, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 28th July 2020

NOTIFICATION

No. F 1-1/2017/1-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Service (General Condition of Service) Rules, 1961, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For sub-rule (1) of rule 8, the following shall be substituted, namely :—

“(1) A person appointed to a service or post by direct recruitment shall be placed on probation for first three years.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMAL PREET SINGH, Secretary.